

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा

वित्त भवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर- 302005

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई मेल aao2.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- एफ.3(ख)(स्थायिकरण)/अलेसे-11/2427

दिनांक :- 15.03.2017

आदेश संख्या : 172/2016-17

राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के निम्नलिखित कार्मिक / कार्मिकों जिन्हें लेखाकार / कनिष्ठ लेखाकार एवं तहसील राजस्व लेखाकार संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2011 में सफल घोषित होने पर 02 वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में नियुक्ति दी गयी थी, को राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा नियम, 1963 के नियम 34 के अंतर्गत 02 वर्ष का परिवीक्षाकाल सफलतापूर्वक पूर्ण करने एवं आधारभूत प्रशिक्षण प्राप्त कर विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण होने के फलस्वरूप उनके नाम के सम्मुख कॉलम संख्या 7 में अंकित तिथि से स्थाई किया जाता है :-

क्र. स.	नाम (सर्वश्री)	मेरिट/बैच न.	जन्मतिथि	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड - द्वितीय के पद पर कार्य ग्रहण करने की तिथि	परिवीक्षाकाल पूर्ण करने की तिथि	स्थायिकरण तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	अशोक कुमार - [9764]	379/2011	09/11/1988	10/06/2014	09/06/2016	10/06/2016
2	मुकेश कुमार मीणा - [9772]	386/2011	02/01/1991	10/09/2014	09/09/2016	10/09/2016
3	प्रेम सिंह - [9773]	269/2011	05/07/1990	23/06/2014	22/06/2016	23/06/2016
4	सुमेर सिंह भाटी - [9766]	59/2011	12/08/1990	10/06/2014	09/06/2016	10/06/2016

परिवीक्षाकाल पूर्ण करने पर इन्हें पे-बैंड 9300-34800 एवं ग्रेड पे 4200 में वेतन तथा नियमानुसार भत्ते देय होंगे।

सहायक लेखाधिकारी ग्रेड - द्वितीय पद पर कार्यग्रहण करने से पूर्व राजस्थान सरकार के अधीन अन्य पद पर नियमित रूप से सेवारत रहे कार्मिकों (जो परिवीक्षा काल में पूर्व पद का वेतन प्राप्त कर रहे हैं) का परिवीक्षाकाल समाप्ति पर वेतन निर्धारण राजस्थान सेवा नियमों के नियम 26 के अंतर्गत वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना F1(2)FD/RULES/2006 दिनांक 13/03/2006 के बिंदु संख्या 03(IV) के निर्देशानुसार किया जायेगा।

उक्त आदेश लेखाकार / कनिष्ठ लेखाकार एवं तहसील राजस्व लेखाकार संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2011 में लंबित विभिन्न न्यायिक प्रकरणों के अध्यधीन होंगे।

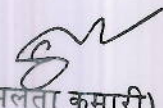

(पंकज पाण्डेय)
निदेशक

क्रमांक:- एफ.3(ख)(स्थायिकरण)/अलेसे-11/2427

दिनांक :- 15.03.2017

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संबंधित कार्यालयाध्यक्ष/ विभागाध्यक्ष
2. संबंधित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड - प्रथम / सहायक लेखाधिकारी ग्रेड - द्वितीय / कनिष्ठ लेखाकार
3. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक।
4. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. रक्षित/निजी पत्रावली / वरिष्ठता सीट।


(हेमलता कुमारी)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक II)